vinetur

पोलैंड की निचली संसद ने गैर-अल्कोहलिक बीयर के विज्ञापनों पर रोक वाले विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा

कानून बनने पर 2027 से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शराब की टेकअवे बिक्री पर रोक लगेगी और छूट तथा ब्रांडिंग पर पाबंदियां बढ़ेंगी

शुक्रवार, 20 नवंबर 2026



पोलैंड की निचली संसद, सेज्म ने गुरुवार, 19 नवंबर को शराब पर नियंत्रण से जुड़े एक बड़े विधेयक में सीनेट के ज्यादातर संशोधनों को मंजूरी दे दी। इससे शराब के ब्रांड नामों के तहत गैर-अल्कोहलिक बीयर के विज्ञापन पर प्रस्तावित रोक बरकरार रही और विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया।

मतदान पोलैंड के संयम और शराबखोरी की रोकथाम संबंधी कानून तथा स्वास्थ्य सेवा से जुड़े प्रावधानों में संशोधनों पर हुआ। सांसदों ने सीनेट के 21 संशोधनों में से ज्यादातर को स्वीकार कर लिया। हालांकि, उन्होंने गैर-अल्कोहलिक बीयर के विज्ञापनों की अनुमति देने वाला सीनेट का संशोधन खारिज कर दिया। इससे विधेयक का अधिक सख्त प्रारूप बरकरार रहा, जिसे पहले सेज्म की स्वास्थ्य समिति का समर्थन मिला था।

हस्ताक्षर होने पर इस कानून के तहत देशभर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक खुदरा दुकानों से टेकअवे के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगेगी। यह पाबंदी बार, रेस्तरां या खानपान सेवाएं देने वाले अन्य कारोबारों पर लागू नहीं होगी और हवाई अड्डों को इससे छूट मिलेगी। नगरपालिकाओं को स्थानीय स्तर पर रोक का समय रात 9 बजे से शुरू करने या सुबह 9 बजे तक बढ़ाने का अधिकार भी मिलेगा।

इस विधेयक में शराब के विज्ञापन और प्रचार से जुड़े नियम भी सख्त किए जाएंगे। इसके तहत बीयर के विज्ञापनों सहित शराब के विज्ञापन पर रोक होगी। उल्लंघन करने पर 30,000 ज़्लॉटी से 1 million ज़्लॉटी तक का जुर्माना या पोलिश कानून के तहत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की सजा हो सकती है। साथ ही, विधेयक में कुछ सीमित अपवाद भी बरकरार रखे गए हैं।

खुदरा विक्रेताओं और उत्पादकों के लिए सबसे अहम बदलावों में से एक शराब प्रचार की व्यापक परिभाषा है। सेज्म द्वारा स्वीकार किए गए सीनेट के संशोधनों के मुताबिक, प्रचार में छूट, एक साथ कई उत्पाद खरीदने की पेशकश और लॉयल्टी कार्यक्रम शामिल होंगे। इससे दुकानों में आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले „6+6" या „12+12" जैसे ऑफर भी दायरे में आएंगे। विधेयक में थोक बिक्री केंद्रों, खानपान स्थलों और केवल शराब की बिक्री के लिए समर्पित दुकानों में शराब के विज्ञापन की अनुमति बनी रहेगी। बिक्री केंद्रों को 2030 के अंत तक शराब के ट्रेडमार्क दिखाने वाले रेफ्रिजरेटर और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल जारी रखने की भी अनुमति होगी।

विधेयक में वाइन और क्राफ्ट बीयर उद्योग के कुछ हिस्सों के लिए अलग-अलग छूट का प्रावधान है। इसमें „एनो-कुलिनरी कार्यक्रमों" को परिभाषित किया गया है, जहां वाइन उत्पादों से जुड़े सूचनात्मक और सांस्कृतिक संदेशों की अनुमति होगी। क्राफ्ट ब्रुअरी के शैक्षिक कार्यक्रमों और पाक-पर्यटन को भी छूट के दायरे में शामिल किया गया है। क्राफ्ट बीयर से जुड़े सूचनात्मक और सांस्कृतिक संदेशों को भी इसकी अनुमति होगी।

इन प्रावधानों का महत्व जनस्वास्थ्य नीति से कहीं आगे तक है। विधेयक कानून बनता है, तो यूरोप के बड़े पेय बाजारों में से एक में दुकानों के खुलने के समय, छूट की रणनीतियों और ब्रांड मार्केटिंग में बदलाव आ सकता है। इसका असर पोलैंड में कारोबार करने वाले ब्रुअरी, वाइनरी, डिस्टिलरी, आयातकों और खुदरा विक्रेताओं पर पड़ेगा। ये नियम खास तौर पर उन कंपनियों के लिए अहम होंगे जो संयुक्त ऑफर, दुकानों में ब्रांडेड उपकरणों या अल्कोहलिक से गैर-अल्कोहलिक पेयों तक ब्रांड विस्तार पर निर्भर करती हैं।

ब्रूइंग उद्योग ने पहले ही इस विधेयक का विरोध किया है। Forsal.pl को दिए बयान में पोलिश ब्रुअर्स एसोसिएशन के महानिदेशक Bartłomiej Morzycki ने कहा कि कानून को लेकर गंभीर संवैधानिक चिंताएं हैं और इस पर सवाल उठ सकता है कि यूरोपीय संघ की अनिवार्य अधिसूचना प्रक्रियाओं का पालन किया गया या नहीं। उनका कहना था कि विधायी प्रक्रिया में बीयर और उसके विज्ञापनों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दिया गया, जबकि हानिकारक शराब सेवन के मुख्य कारणों, जिनमें छोटे पैक में बिकने वाली स्पिरिट्स भी शामिल हैं, पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने विज्ञापन नियमों में गैर-अल्कोहलिक बीयर के साथ वोडका जैसा सख्त व्यवहार करने के फैसले की भी आलोचना की। उनके मुताबिक, इस फैसले में उस पेय श्रेणी की अनदेखी की गई है जिसे अधिकाधिक उपभोक्ता शराब के विकल्प के तौर पर अपना रहे हैं।

यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है। नए नियम प्रभावी होने से पहले इसे राष्ट्रपति की मंजूरी और फिर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की जरूरत होगी। सीनेट के संशोधनों के बाद मंजूर प्रारूप के अनुसार, कानून 1 जून, 2027 से लागू होगा।